

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 07.11.2023

उद्घोषित तिथि: 03.01.2024

आप.वि.वा. 1082/2019 व आप.वि.आ. 28506/2023

पूजा शर्मा बजाज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: याचिकाकर्ता सह सुश्री मालविका राजकोटिया, श्री रमाकांत शर्मा, श्री प्रतीक अवस्थी और सुश्री पूर्वा दुआ, अधिवक्तागण।

बनाम

कुणाल बजाज व अन्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 हेतु श्री गिरिराज सुब्रमण्यम, श्री रवि पाठक, श्री अखिलेश तल्लूर, श्री सिमरपाल सिंह साहनी, श्री जॉय बनर्जी और श्री सिद्धांत जुयाल, अधिवक्तागण।

आप.वि.वा. 1083/2019 व आप.वि.आ. 4756/2020

पूजा शर्मा बजाज

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: याचिकाकर्ता सह सुश्री मालविका राजकोटिया, श्री रमाकांत शर्मा, श्री प्रतीक अवस्थी और सुश्री पूर्वा दुआ, अधिवक्तागण।

बनाम

अशोक बजाज व अन्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 हेतु श्री गिरिराज सुब्रमण्यम, श्री रवि पाठक, श्री अखिलेश तल्लूर, श्री सिमरपाल सिंह साहनी, श्री जॉय बनर्जी और श्री सिद्धांत जुयाल, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

निर्णय सूचकांक

<u>इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा</u>	3
वास्तविक पृष्ठभूमि	4
इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क.....	11
विक्षेपण और निष्कर्ष.....	13
i. भा.दं.सं. की धारा 494: कानून और अनिवार्यताएँ.....	14
ii. दूसरी शादी के दौरान आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन को प्रमाणित करने का मंच	15
ii. वर्तमान मामले में अभिलेख पर मौजूद सामग्री.....	17
iv. यदि विधिक रूप से विवाहित पत्नी/पति ने अपने जीवनकाल के दौरान शादी कर ली है और उनके पास सप्तपदी का सबूत नहीं है, खासकर व्यभिचार के अपराध के अभाव में, तो पीड़ित को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है।	21

v. द्विविवाह का अपराध: वैवाहिक बंधन का उल्लंघन	23
vi. द्विविवाह की प्रतिध्वनि: इसके सामाजिक परिणामों का आकलन.....	25
vii. हिंदू कानून के तहत एकविवाह के सिद्धांत का संरक्षण.....	27
viii. द्विविवाह में प्रमाण का बोझ.....	28
viii. जीवन की व्यावहारिकताओं के साथ कानून की तकनीकों को संतुलित करने की आवश्यकता	29
निर्णय.....	32

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

1. यह निर्णय आप.वि.वा. 1082/2019 और आप.वि.वा. 1083/2019 के निपटान को नियंत्रित करेगा, जो तथ्यों और विवादों के एक ही समूह से उत्पन्न होते हैं और उसी आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हैं।
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("दं.प्र.सं.") की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिकाएं याचिकाकर्ता की ओर से दायर की गई हैं, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-03, दक्षिण, साकेत न्यायालय, दिल्ली ("विद्वान सत्र न्यायालय") द्वारा पंजीकृत परिवाद मामला सं. 313/2018 शीर्षक "कुणाल बजाज बनाम राज्य एवं अन्य" और पंजीकृत परिवाद मामला सं. 437/2018 शीर्षक "अशोक बजाज बनाम राज्य एवं अन्य" में पारित दिनांक 21.01.2019 के आदेश को अपास्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत विद्वान

महानगर दंडाधिकारी-04, दक्षिण, साकेत न्यायालय, दिल्ली ("विद्वान दंडाधिकारी") द्वारा परिवाद मामला सं. 37/1 में पारित दिनांक 30.08.2017 के समन आदेश को अपास्त कर दिया गया था।

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा

3. दिनांक 21.01.2019 के आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताते हुए, ये याचिकाएँ विधि के निम्नलिखित प्रश्न उठाती हैं:

"...क) क्या विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 109 के तहत परिवाद को खारिज करना न्यायोचित है जिसमें विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा यह निश्चित निष्कर्ष निकालने के बाद समन जारी किया गया कि अभियुक्तों को प्रस्तुत दलीलों और अभिलेखों के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध धारा 494 और प्रत्यर्थी सं. 2, 3 और 4 के विरुद्ध धारा 109 भा.दं.सं. के तहत कार्यवाही करने के लिए समन करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

ख) क्या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले विद्वान सत्र न्यायाधीश का समन के चरण में आरोप की सत्यता या अन्यथा हस्तक्षेप करना और विवाह के अनुष्ठापन के सबूत के मुद्दे पर गहराई से विचार करना उचित है..."

वास्तविक पृष्ठभूमि

4. याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 494 और 406 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों यानी अभियुक्त सं. 1 कुणाल बजाज, अभियुक्त सं. 2 गार्गी बजाज (अभियुक्त सं. 1 की मां), अभियुक्त सं. 3 अशोक बजाज (अभियुक्त सं. 1 के पिता) और अभियुक्त सं. 4 अभिप्सा गुप्ता

(अभियुक्त सं. 1 की कथित दूसरी पत्नी) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराई थी। अभियुक्त सं. 1 से 3 भारतीय मूल के व्यक्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, और अभियुक्त सं. 4 भारत का नागरिक है।

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि परिवाद से पता चलता है, यह है कि पक्षकार यानी याचिकाकर्ता पूजा शर्मा बजाज और अभियुक्त सं. 1 कुणाल बजाज की मुलाकात वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जहाँ याचिकाकर्ता अपनी पढ़ाई कर रही थी और अभियुक्त सं. 1 ने न्यूयॉर्क कार्यालय में एक कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। यह कहा गया है कि अभियुक्त सं. 1 ने महीनों तक परिवादी का लगातार पीछा किया और आखिरकार उससे शादी का प्रस्ताव रखा। अभियुक्त सं. 1, 2 और 3 ने परिवादी के माता-पिता को अभियुक्त सं. 1 की परिवादी के साथ शादी के लिए राजी किया था। पक्षकारों के बीच शादी हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार नई दिल्ली के हयात रीजेंसी होटल में दिनांक 30.11.2001 को संपन्न हुई। अपनी शादी के बाद, वे 2003 तक न्यूयॉर्क में रहे, जब अभियुक्त सं. 1 ने अल्पकालिक आधार पर भारत में ही कोई कार्य करने का निर्णय लिया था। हालांकि, यह कार्य लगभग दो साल तक जारी रहा, जिसके बाद अभियुक्त सं.1 अमेरिका वापस नहीं जाना चाहते थे और विभिन्न परियोजनाओं पर विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। भारत में इस स्थानांतरण के पहले

सात वर्षों के लिए, परिवादी और आरोपी दिल्ली के पीतमपुरा में परिवादी के माता-पिता के घर में रहते थे और उनके सभी खर्चों का भुगतान परिवादी के माता-पिता द्वारा किया गया था, और इस प्रकार, आरोपी पति ने परिवादी के पिता के संसाधनों का उपयोग करके अपने करियर व्यवसाय और वित्तीय स्थिति का निर्माण किया था। इसलिए, 2010 में, वे दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में किराए के आवास में जाने के लिए सहमत हो गए थे क्योंकि इस समय तक आरोपी का व्यवसाय शुरू हो गया था और वह एक भव्य जीवन शैली जीने लगा था। आरोप है कि आरोपी ने एक बीएमडब्ल्यू कार खरीदी थी और युवा और अविवाहित व्यक्तियों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया था और परिवादी की अनदेखी करना शुरू कर दिया था। वह देर तक बाहर रहने लगा था और सुबह तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा था, जिनमें से अधिकांश अविवाहित थे। इसके बाद, अगस्त 2009 में, अभियुक्त सं.1 परिवादी को साथ लिए बिना दिनांक 14.09.2009 से दिनांक 30.09.2009 तक के लिए अमेरिका चला गया था। लौटने पर, परिवादी ने देखा कि वह गुप्त हो गया था और अपना अधिकांश समय फोन पर बिताता था और फोन कॉल करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता था। इसके बाद वह अपना ज्यादातर समय घर से बाहर बिताने लगा था और जब वह घर पर होता था तो फोन या कंप्यूटर पर व्यस्त रहता था और परिवादी को नजरअंदाज कर देता था। मार्च-जून, 2010 के बीच, उसने अपनी शादी को खत्म करने के

लिए अधिवक्तागण के पास जाना शुरू कर दिया था। परिवादी को यह भी पता चला था कि वह उसे बताए बिना एक निजी एचडीएफसी बैंक खाता खोल रहा था। उसे यह भी पता चला था कि अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 4 अभिप्सा गुसा की पहचान छिपाई थी, और उसे अपनी चचेरी बहन सौम्या भूषण के रूप में बताया था (परिवादी/याचिकाकर्ता ने परिवाद के साथ, अभियुक्त सं. 1 के टेलीफोन बिल भी दायर किए थे ताकि यह साबित हो सके कि उसके और अभिप्सा गुसा के बीच लंबी अवधि के कई फोन कॉल हुए थे)। दिनांक 18.10.2011 को, अभियुक्त सं. 1 परिवादी को पीछे छोड़कर अपना जन्मदिन मनाने के लिए बॉम्बे चला गया था, जिसका जन्मदिन दिनांक 19.10.2011 को था। उसके बाद, कई मौकों पर, अभियुक्त सं. 1 परिवादी के बिना छुट्टी मनाने चला गया। दिनांक 04.02.2012 को, जब अभियुक्त सं. 1 का एक्सीडेंट हुआ था, तो परिवादी उसके पास थी और उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि, अगले ही दिन उसने फिर से अपने दोस्तों को सुपर बाउल देखने के लिए आमंत्रित किया था। यह कहा गया है कि जब आरोपी अपने वैवाहिक घर से बाहर गया हुआ था तब परिवादी को बाद में 2013 में प्राथमिकी और बीमा दावे के कागजात से पता चला कि दुर्घटना के समय कार में उसके अलावा एक और लड़की थी। उसे यह भी पता चला था कि उसने परिवादी/याचिकाकर्ता का नाम उस लड़की के नाम के रूप में दिया था जो दुर्घटना के समय कार में थी जबकि वह इस दौरान घर पर थी। बाद में उसे

पता चला कि अभियुक्त सं. 1 सुश्री अभिप्सा गुप्ता यानी अभियुक्त सं. 4 के साथ रिश्ते में था। दिनांक 09.01.2013 को, अभियुक्त सं. 2 और 3 ने सफदरजंग एन्क्लेव में वैवाहिक घर का दौरा किया था और अभियुक्त सं. 1 को सभी सूटकेस पैक करने में मदद की थी, जिसके बाद वह वैवाहिक घर छोड़कर चला गया था और उसे छोड़ दिया था। आखिरकार, उसे पता चला कि अभियुक्त सं. 1 अभियुक्त सं. 4 के साथ रिश्ते में था और वह दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में अभियुक्त सं. 4 के घर में रहने लगा था और उसके बाद वह अभियुक्त सं. 4 के साथ छुट्टियां मनाने जयपुर, राजस्थान गया था और ली मेरिडियन होटल में रुका था। जून 2013 में, वे सर्वोदय एन्क्लेव में एक नए अपार्टमेंट में चले गए थे। अभियुक्त सं. 4 ने अगस्त 2013 में सर्वोदय एन्क्लेव के अपने अपार्टमेंट के लिए यूएई से फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदे थे (याचिकाकर्ता ने परिवाद के साथ अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें और होटल के बिल भी दाखिल किए थे, जहाँ वे रुके थे)। यह कहा गया है कि जुलाई 2014 में, अभियुक्त सं. 1 और 4 मुंबई चले गए थे और बांद्रा के पास एक प्रॉपर्टी में रहने लगे थे। उन्होंने अभियुक्त सं. 4 के साथ दिल्ली में सीआर पार्क में उसके घर में भी निवास किया था। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त सं. 1 ने पेरिस में अभियुक्त सं. 4 को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए वह जुलाई, 2015 में विशेष रूप से पेरिस गया था। इसके बाद, अभियुक्त सं. 1 और 4 ने स्थानीय पंडितों और उनके परिवार और दोस्तों की

मौजूदगी में शादी कर ली थी, जिसमें बाकी प्रत्यर्थी/आरोपी व्यक्ति भी शामिल थे, और वे अपने हनीमून के लिए श्रीलंका गए थे (परिवादी ने अभियुक्त सं. 1 और 4 की कथित शादी की तस्वीरें भी अभिलेख में दर्ज की थीं)। फरवरी 2016 में अभियुक्त सं. 1 ने अभियुक्त सं. 4 की गर्भावस्था की खबर का जश्न उसके बच्चे की खरीदारी के लिए अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड उपहार में देकर मनाया था, और गिफ्ट कार्ड का विवरण परिवादी द्वारा परिवाद के साथ दर्ज किया गया था। जून 2016 में परिवादी को पता चला कि अभियुक्त सं. 4 का पता और अभियुक्त सं. 1 का पता एक ही है, जैसा कि उनके आय हलफनामे और बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। जून 2016 में अभियुक्त सं. 1 और 4 बांद्रा में एक बड़े अपार्टमेंट में चले गए थे। यह कहा गया है कि पड़ोसी और सुरक्षा गार्ड उन्हें एक विवाहित जोड़े के रूप में स्वीकार करते हैं और यह एक सुरक्षा गार्ड की वीडियो रिकॉर्डिंग से साबित हो सकता है जो पुष्टि करता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 4 एक विवाहित जोड़े हैं। अभियुक्त सं. 1 और 4 की बेटी का जन्म दिनांक 05.09.2016 को हुआ था। उनकी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से अभियुक्त सं. 1 को पिता के रूप में नामित किया गया है। यह आगे कहा गया है कि दिसंबर 2016 में, अभियुक्त सं. 4 ने एक फेसबुक ग्रुप "माँमी नेटवर्क" पर एक प्रश्न पोस्ट किया था और अभियुक्त सं. 1 का नाम अपने पति के रूप में पोस्ट किया था। इस प्रकार, वर्तमान परिवाद दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत दायर की गई थी और यह आरोप लगाया

गया था कि अभियुक्त सं. 1 द्विविवाह के अपराध का दोषी था, और अभियुक्त सं. 2, 3 और 4 द्विविवाह के अपराध को बढ़ावा देने के दोषी थे।

6. शिकायतकर्ता न्या. सा.-1 का बयान दिनांक 30.08.2017 को विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसके बाद विद्वान दंडाधिकारी ने मामले में समन जारी करने की कार्यवाही की थी। विद्वान दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 30.08.2017 का आदेश, जिसके तहत वर्तमान परिवाद मामले में आरोपी व्यक्तियों/प्रत्यर्थीगण को समन किया गया था, इस प्रकार है:

“...संक्षेप में कहा गया है कि परिवादी का मामला यह है कि उसने दिनांक 30.11.2001 को हिंदू रीति-रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार संभावित अभियुक्त सं. 1 कुणाल बजाज से शादी की थी। अपनी शादी के दौरान, संभावित अभियुक्त सं. 1 ने अक्टूबर 2015 के महीने में संभावित अभियुक्त सं. 4 अभिप्सा गुप्ता से शादी कर ली और उनके रिश्ते से दिनांक 05.09.2016 को अनंत बजाज नाम का एक बच्चा भी पैदा हुआ। परिवादी का यह भी मामला है कि संभावित अभियुक्त सं. 2 और 3 यानी गार्गी बजाज और अशोक बजाज, जो संभावित अभियुक्त सं. 1 के माता-पिता हैं, ने भी संभावित अभियुक्त सं. 1 की दूसरी शादी के लिए जानबूझकर उकसाया था।

आरोपों के आधार पर, अभियुक्त सं. 1 के विरुद्ध धारा 494 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए तथा अभियुक्त सं. 2, 3 और 4 के विरुद्ध धारा 109 सह पठित 494 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर मौजूद है।

सभी अभियुक्त को दिनांक 05.12.2017 के लिए पीएफ दाखिल करने पर समन जारी करें...”

7. अभियुक्तगण अर्थात् प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 30.08.2017 के समन आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिकाएँ अर्थात् पंजीकृत परिवाद मामला सं. 313/2018 और 437/2018 प्रस्तुत की थीं, तथा विद्वान सत्र न्यायालय ने दिनांक 21.01.2019 के आक्षेपित आदेश के तहत समन आदेश को निरस्त कर दिया। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“...14. भा.दं.सं. की धारा 494 के अपराध के लिए, आवश्यक धार्मिक संस्कारों के अनुसार दूसरी शादी के अनुष्ठापन का प्रमाण, भा.दं.सं. की धारा 494 के अपराध के लिए, पक्षकारगण पर लागू आवश्यक धार्मिक आवश्यक धार्मिक संस्कारों के अनुसार दूसरी शादी के अनुष्ठापन का सबूत अनिवार्य है। यह आवश्यकता द्विविवाह के अपराध के लिए दोषसिद्धि के लिए बिल्कुल आवश्यक और जरूरी है। समन के उद्देश्य से, दूसरी शादी के अनुष्ठानों के द्वारा किए जाने के बारे में कुछ सबूत होने चाहिए, भले ही वे कमजोर या अशक्त हों, यानी पक्षकारगण को नियंत्रित करने वाले आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन के लिए कुछ सबूत फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी या किसी प्रत्यक्षदर्शी की परीक्षा के रूप में होने चाहिए, ताकि भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत द्विविवाह के अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। पक्षकारगण को विवाह जैसे रिश्ते में दिखाने वाले फोटोग्राफ या कुछ दस्तावेजों के रूप में सबूत भी धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

15. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत कानून के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि बाद का विवाह आवश्यक समारोहों के उचित प्रदर्शन पर किया गया था, जिस पर केवल विवाह एक वैध विवाह बन जाता है। इस संबंध में पहली शादी, जिसका निर्वाह परिवादी को भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत परिवाद दर्ज करने का अधिकार देता है, और दूसरी शादी, जिसे भा.दं.सं. की धारा 494 के उद्देश्य के लिए द्विविवाह कहा जा सकता है, के बीच अंतर किया जाना चाहिए। प्रथम विवाह के मामले में, यह साबित करना होगा कि विवाह कानूनी रूप से वैध था अर्थात् (1) ऐसे विवाह के अनुबंध में कोई कानूनी बाधा नहीं थी; और (2) यह कि विवाह इसकी वैधता के लिए आवश्यक न्यूनतम समारोहों के अनुसार किया गया था।

16. प्रथम विवाह के मामले में, यदि उपरोक्त दो परीक्षणों में से किसी एक के अनुसार विवाह वैध नहीं पाया जाता है, तो द्विविवाह का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी शादी के मामले में, यह आवश्यक नहीं है कि शादी कानून के अनुसार अन्यथा वैध हो, इस तथ्य के अलावा कि जीवनसाथी जीवित है। उदाहरण के लिए, यह तथ्य कि दूसरी शादी के पक्षकार निषिद्ध सीमा के भीतर हैं, शादी को द्विविवाह होने से नहीं रोकेगा। हालांकि, यह आवश्यक है कि विवाह के लिए आवश्यक समारोहों को विधिवत रूप से किया जाए। इस प्रकार, जबकि पहली शादी की वैधता निर्धारित करने के लिए कानूनी बाधाओं की अनुपस्थिति में आवश्यक है, दूसरी शादी को द्विविवाह मानने के लिए बाधा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केवल कुछ समारोहों को इस इरादे से करना कि पक्षों को विवाहित माना जाए, कानून द्वारा निर्धारित समारोह या

किसी स्थापित प्रथा द्वारा अनुमोदित समारोह नहीं बनेंगे। इसलिए, किसी व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना केवल धारा 494 भा.दं.सं. को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि वैध विवाह के समारोहों के प्रदर्शन का कुछ संतोषजनक सबूत न हो।

18. हालांकि, तत्काल मामले में, पवित्र अग्नि के आसपास सप्तपदी जैसे समारोहों के प्रदर्शन के संबंध में परिवादी के नेतृत्व में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य का कोई अंश नहीं है, जो हिंदू विवाह के प्रदर्शन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक और अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर सामग्री द्विविवाह या द्विविवाह के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए संशोधन वादियों को बुलाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित आदेश गंभीर अवैधता और दुर्बलता से ग्रस्त है और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। तदनुसार, दोनों संशोधनों को अनुमति दी जाती है और दिनांक 30.08.2017 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। तदनुसार, शिकायत को धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत खारिज किया जाता है..."

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्क

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, जो आरोपित आदेश की सत्यता पर सवाल उठाते हैं, तर्क देते हैं कि विद्वान सत्र न्यायालय ने बिना किसी सुनवाई के यह मान लेने में गलती की है कि पवित्र अग्नि के चारों ओर सप्तपदी जैसे समारोह करने के बारे में परिवादी द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया था, जबकि परिवादी की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य को

नजरअंदाज किया गया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार दूसरी शादी की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरी शादी की तस्वीर और दूसरी शादी से एक बच्चे का जन्म साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे विद्वान सत्र न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि विद्वान दंडाधिकारी को आरोपी व्यक्ति को बुलाने के लिए जांच के दौरान अभिलेख पर लाई गई सामग्री पर केवल प्रथम दृष्टया राय बनानी थी। यह भी कहा गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत जांच के चरण में, परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए पूर्व-समन साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए और न्यायालय को आरोपी को दोषी ठहराने के उद्देश्य से साक्ष्यों की पर्याप्तता के सवाल पर गौर नहीं करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी कुणाल बजाज की दिनांक 13.09.2023 को हिन्दू विवाह अधिनियम सं. 343/2013 यानी तलाक की कार्यवाही में की गई जिरह पर भरोसा किया और कहा कि प्रत्यर्थी कुणाल बजाज ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि प्रत्यर्थी "अभीप्सा गुप्ता उनकी बेटी की माँ है"। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा विवाह की आवश्यक रस्में निभाई गईं या नहीं, यह परीक्षण का विषय है और इस प्रकार, विद्वान दंडाधिकारी ने प्रत्यर्थीगण को बुलाकर सही किया था और इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

9. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता, जो विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कायम रखना चाहते हैं, तर्क देते हैं कि परिवादी ने अपने परिवाद में केवल एक स्पष्ट और अस्पष्ट दावा किया है कि प्रत्यर्थी कुणाल बजाज ने "करीबी परिवार और दोस्तों के सामने एक स्थानीय पंडित से सगाई और विवाह किया था" कथित अपराध किस तरह किया गया था, इसका कोई विवरण बताए बिना या उसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि यह मानते हुए भी कि इस स्तर पर विद्वान दंडाधिकारी को केवल प्रारंभिक जांच करनी है, परिवाद में यह बुनियादी दावा भी नहीं है कि भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत अपराध, उसके तत्वों के साथ, किया गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी कुणाल बजाज के कथित "स्वीकृति" पर भरोसा करता है कि उसका एक अन्य महिला से बच्चा है, हालांकि, बच्चे का जन्म अपने आप में द्विविवाह के अपराध का सबूत नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि द्विविवाह के अपराध का एक अनिवार्य घटक पक्षों पर लागू आवश्यक धार्मिक संस्कारों के अनुसार दूसरा विवाह करना है; तथा इस उद्देश्य के लिए केवल अभियुक्त की स्वीकृति पर्याप्त नहीं होगी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गंभीर अपराध है तथा पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य आधार पर दर्ज मामले में अभियुक्त को समन करने के लिए इस बात पर विचार

करना होगा कि क्या परिवाद में लगाए गए आरोप अपराध के अनिवार्य घटक हैं तथा क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए क्योंकि आक्षेपित आदेश में कोई कमी नहीं है क्योंकि यह इस आधार पर परिवाद को खारिज करता है कि अपराध के अनिवार्य घटक परिवाद तथा परिवादी के कथन में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

विश्लेषण और निष्कर्ष

10. यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि इन याचिकाओं में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से यह साबित कर सकता है कि अभियुक्त सं. 1 और 4 के बीच वैध विवाह हुआ था, अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 494 सहपठित धारा 109 के तहत अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के उद्देश्य से आवश्यक संस्कार और समारोह आयोजित करके विवाह हुआ था।

i. भा.दं.सं. की धारा 494: कानून और अनिवार्यताएँ

11. भा.दं.सं. की धारा 494, जो "द्विविवाह" के अपराध को परिभाषित करती है, निम्नानुसार है:

"494. पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पुनः विवाह करना।

जो कोई अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा, जिसमें ऐसा विवाह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होने के कारण शून्य हो जाता है, वह दोनों

में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अपवाद—यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जिसके साथ ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह को सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन के दौरान विवाह करता है, यदि ऐसा पति या पत्नी, बाद के विवाह के समय, सात साल के अंतराल के लिए ऐसे व्यक्ति से लगातार अनुपस्थिति रहा होगा, और उस व्यक्ति द्वारा उस समय के भीतर जीवित होने के रूप में नहीं सुना गया होगा, बशर्ते कि ऐसा बाद का विवाह करने वाला व्यक्ति, ऐसा विवाह होने से पहले, उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके साथ ऐसा विवाह किया गया है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में जहां तक उसकी जानकारी में है।”

12. *गोपाल लाल बनाम राजस्थान राज्य* (1979) 2 एससीसी 170 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध भा.दं.सं. की धारा 494 के आवश्यक तत्व निम्नानुसार हैं:

“3. इस अपराध के आवश्यक तत्व हैं:

- (1) कि अभियुक्त पति या पत्नी ने पहली शादी की होगी।
- (2) पहली शादी में होने के बावजूद संबंधित पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली होगी, और
- (3) दोनों विवाह इस अर्थ में वैध होने चाहिए कि पक्षों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून द्वारा अपेक्षित आवश्यक समारोह विधिवत संपन्न किए गए हों।”

ii. दूसरी शादी के दौरान आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन को प्रमाणित करने का मंच

13. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि हिंदू विवाह के मामले में सप्तपदी जैसे आवश्यक संस्कारों और समारोहों का प्रदर्शन, भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत द्विविवाह के अपराध को स्थापित करने के लिए अनिवार्य है, जैसा कि प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया है।

14. हालांकि, यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वर्तमान मामला अभियुक्त को बुलाने के चरण में है, और परीक्षण के बाद अंतिम चरण में नहीं है जब न्यायालय को अंततः इस बात पर विचार करना है कि क्या परिवादी अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में समर्थ है जिसमें दूसरा विवाह करते समय आवश्यक समारोहों के प्रदर्शन का प्रमाण शामिल होगा।

15. अभियुक्त को बुलाने के चरण में, पूरे मामले को अंतिम रूप से तय करने की भावना के साथ समय से पहले निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है। समन के चरण में सभी तथ्यों और परिस्थितियों को अंतिम रूप से आंकना और उनका मूल्यांकन करना धारा 200-204 के तहत दं.प्र.स. के प्रक्रियात्मक इरादे से विचलन होगा, क्योंकि यह वाद के दौरान तथ्यों की व्यापक और निर्णायक जांच के बिना मामले के परिणाम को समय से पहले निर्धारित कर

सकता है, जहां दोनों पक्षों को अधिक विस्तृत और संरचित तरीके से अपने तर्क और साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलता है।

16. स्वाभाविक रूप से, समन चरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों की सरसरी जांच शामिल होती है, और इस मोड़ पर न्यायालय को यह निर्धारित करना होता है कि क्या कोई ऐसा प्रशंसनीय मामला मौजूद है जिसके लिए आगे की जांच और सुनवाई की आवश्यकता है। यह आकलन मुख्य रूप से साक्ष्य के अंकित मूल्य पर आधारित होता है, इसके व्यापक विश्लेषण में नहीं जाता। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि समन चरण का उद्देश्य मामले से संबंधित सभी तथ्यों और कानूनी पेचीदगियों का व्यापक और निर्णायक मूल्यांकन करना नहीं है।

17. संक्षेप में, समन का चरण एक प्रारंभिक जांच के रूप में कार्य करता है, और इस चरण में न्यायालय की भूमिका यह निर्धारित करना है कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और कार्यवाही का सामना करने के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं या नहीं, तथा तथ्यों का अधिक व्यापक मूल्यांकन केवल कार्यवाही के बाद के चरणों अर्थात् परीक्षण के दौरान ही किया जाना है।

18. ऐसा देखते समय, यह न्यायालय के. नीलावेनी बनाम राज्य (2010) 11 एससीसी 607 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों द्वारा निर्देशित रहता है, जिसमें उसने माना है कि भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत

अपराध के मामले में, यह परीक्षण का विषय है कि विवाह की आवश्यक रस्में निभाई गईं या नहीं। निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

"14. यह ध्यान में रखना होगा कि आरोप-पत्र को रद्द करने के आवेदन पर विचार करते समय, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस समय आरोप की सत्यता या असत्यता पर विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि यह हमेशा परीक्षण का विषय होता है। शादी की आवश्यक रस्में निभाई गईं या नहीं, यह परीक्षण का विषय है।

15. हमने ऊपर जो कहा है, उससे हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि आरोप-पत्र दंड संहिता की धारा 494 और 406 के तहत अपराध गठन करने वाले तत्वों का खुलासा नहीं करता है।"

(जोर दिया गया)

19. कानून की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के द्विविवाह के अस्तित्व और अनुष्ठान को साबित करने का बोझ परिवादी पर है, यह न्यायालय मामले की फाइल का अध्ययन करने के बाद नोट करती है कि यदि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सं. 1 और 4 ने अपने मन में वैवाहिक गठबंधन मनाने और उसमें प्रवेश करने का इरादा किया था और उन्होंने विवाह का एक रूप मनाया और उसके बाद, उन्होंने पति और पत्नी के रूप में सहवास किया और उनके मिलन से एक लड़की का जन्म हुआ और उनकी जैविक बेटी के जन्म प्रमाण पत्र में अभियुक्त का नाम उसके पिता के रूप में उल्लेख किया गया है, जो परिवादी पत्नी के लिए अभियुक्त पति के

खिलाफ कार्रवाई को आमंत्रित करने और बनाए रखने के लिए एक मजबूत आधार होगा और उसे अभिलेख पर यह साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए कि दूसरा विवाह उसके पति यानी अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 4 के बीच हुआ था और उनका कृत्य द्विविवाह के अपराध के दायरे में आता है।

iii. वर्तमान मामले में अभिलेख पर मौजूद सामग्री

20. याचिकाकर्ता के परिवाद में बताए गए विवरण पहले ही पिछले पैराग्राफ में बताए जा चुके हैं। यह न्यायालय यह भी देखता है कि इस मामले में याचिकाकर्ता न्या.सा.-1 ने अपनी गवाही में निम्नलिखित बातें कही हैं:

“मैं परिवादी और अभियुक्त सं. 1 श्री कुणाल बजाज की पत्नी हूं। हमारी शादी दिनांक 30.11.2001 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हयात रीजेंसी, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हुई थी। अभियुक्त सं. 1 के साथ मेरे विवाह के दौरान, अभियुक्त सं. 1 मेरे पति ने अक्टूबर 2015 में अभिप्सा गुप्ता अभियुक्त सं. 4 नामक एक अन्य महिला से शादी कर ली। अभियुक्त सं. 1 की इस रिश्ते से एक बेटी है जिसका नाम 'एक्स' बजाज है, जिसका जन्म दिनांक 05.09.2016 को हुआ। अभियुक्त सं. 2 और 3, मेरे सास-ससुर ने यह जानते हुए भी कि अभियुक्त सं. 1 पहले से ही मुझसे शादीशुदा है, अभियुक्त सं. 4 के साथ पुनर्विवाह करने के लिए अभियुक्त सं. 1 का समर्थन और साजिश की। अभियुक्त सं. 1 ने भा.दं.सं. की धारा 494 के तहत द्विविवाह का कृत्य किया और अभियुक्त सं. 4 भी अपराध का दोषी है, जबकि उसे पता था कि अभियुक्त सं. 1 पहले से ही मुझसे विवाहित है, उसने (अभियुक्त सं. 4 ने) अभियुक्त सं. 1 से विवाह किया है।

अभियुक्त सं. 1, 2 और 3 ने भी मुझ पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता की है।

मैं प्र. न्या.सा. 1/1 से प्र. न्या.सा. 1/18 पर भरोसा करता हूँ और प्र. न्या.सा. 1/19 मेरी शिकायत है जिसके बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

21. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता जो कि अभियुक्त सं. 1 की विधिक रूप से विवाहित पत्नी भी है, ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी है कि अभियुक्त सं. 1 की शादी अभियुक्त सं. 4 से उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक स्थानीय पुजारी द्वारा आयोजित समारोह में हुई थी। याचिकाकर्ता ने परिवाद के साथ अनुलग्नक सी-13 के रूप में एक फोटो भी दर्ज की थी जो उसके अनुसार अभियुक्त सं. 1 और 4 के शादी समारोह की थी।

22. इस न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम सं. 343/2013 यानी तलाक की कार्यवाही में प्रत्यर्थी कुणाल बजाज की दिनांक 13.09.2023 की जिरह का भी अवलोकन किया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर दायर किया गया है। शुरू में, हालांकि यह न्यायालय नोट करता है कि आक्षेपित आदेश वर्ष 2019 में पारित किया गया था और उपरोक्त जिरह वर्ष 2023 से संबंधित है, हालांकि, प्रत्यर्थी/अभियुक्त सं. 1 कुणाल बजाज स्वयं अभियुक्त सं. 4 अभीप्सा गुसा के साथ अपने संबंधों और उसकी बेटी की मां होने और उसके जन्म प्रमाण पत्र में उसके पिता के रूप में अपना नाम उल्लेखित करने के तथ्य से

इनकार नहीं करता है। याचिकाकर्ता ने अभियुक्त सं. 1 की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष परिवार के साथ अनुलग्नक सी-17 के रूप में दायर किया था।

23. इस न्यायालय की राय में, अभियुक्त सं. 1 जो एक बच्चे का पिता है और अपने और अभियुक्त सं. 4 के बीच संबंध से पैदा हुई बेटी का जैविक पिता होना स्वीकार किया है और दिनांक 13.09.2023 की जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त सं. 4 उसकी जैविक बेटी की माँ है, इस प्रकार वह बच्चे की माँ के साथ भी अपने रिश्ते को स्वीकार करता है। हालांकि, अभियुक्त सं. 1 ने दलील दी है कि वह अभियुक्त सं. 4 के साथ केवल लिव-इन-रिलेशनशिप में है, यह मुद्दा कि क्या वह बिना किसी शादी समारोह के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है या दुनिया को यह दिखाने का इरादा रखता है कि वह और अभियुक्त सं. 4 पति-पत्नी हैं और अपने संबंध से पैदा हुई बेटी का पालन-पोषण कर रहे हैं, अनिवार्य रूप से केवल परीक्षण के दौरान ही तय किया जा सकता है।

24. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान् दंडाधिकारी के समक्ष दायर की गई परिवार की सामग्री को भी देखा है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को पता चला था कि अभियुक्त सं. 1 और 4 मुंबई के बांद्रा में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे और उनके पड़ोसी और सोसायटी के सुरक्षा गार्ड उन्हें शादीशुदा जोड़े के रूप में पहचानते थे। शिकायत के साथ,

याचिकाकर्ता ने एक सुरक्षा गार्ड की वीडियो रिकॉर्डिंग भी संलग्न की थी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि अभियुक्त सं. 1 और 4 शादीशुदा जोड़े थे। इसलिए, परिवाद में किए गए कथनों से यह बात सामने आती है कि अभियुक्त सं. 1 और 4 वास्तव में खुद को बड़े पैमाने पर पति और पत्नी के रूप में पेश कर रहे थे और उन्हें उनके पड़ोसियों या जिस सोसायटी में वे साथ रह रहे थे, वहां मौजूद/रहने वाले/काम करने वाले अन्य लोगों द्वारा एक विवाहित जोड़े के रूप में पहचाना जा रहा था।

25. परिवाद में दिया गया एक अन्य कथन अभियुक्त सं. 4 द्वारा मम्मी नेटवर्क नामक फेसबुक ग्रुप पर पोस्ट किए गए प्रश्न/टिप्पणियों से संबंधित है, जिसमें उसने "मेरे पति कुणाल बजाज का संदर्भ दें" टिप्पणी करके अभियुक्त सं. 1 को अपना पति माना है। इसके समर्थन में, परिवादी ने अनुलग्नक सी-18 यानी फेसबुक पर टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट दाखिल किया था। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि अभियुक्त सं. 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खुद को और अभियुक्त सं. 1 को एक विवाहित जोड़े के रूप में प्रस्तुत कर रहा था।

26. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, यह निर्धारित करना कि दूसरी शादी करते समय सप्तपदी की गई थी या नहीं, एक ऐसा मामला है जिसकी सुनवाई के दौरान गहन जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा, अभियुक्त संख्या 1 और 4 के बीच उनके रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह का कोई अन्य स्वीकार्य रूप था या नहीं, इसका निर्णय साक्ष्य और सुनवाई के बिना नहीं किया जा

सकता। विवाह की वैधता और अनुष्ठानों के प्रदर्शन जैसे मुद्दों की जटिलता को वाद की कार्यवाही के दौरान व्यापक जांच के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जहां साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिरह की जा सकती है और अधिक विस्तृत तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनने पर अभियुक्त को न बुलाकर, सुनवाई के दौरान किसी के मामले को साबित करने के अवसर को सीमित करना, न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा जो हमारी कानूनी प्रणाली को रेखांकित करते हैं।

iv. यदि विधिक रूप से विवाहित पत्नी/पति ने अपने जीवनकाल के दौरान शादी कर ली है और उनके पास सप्तपदी का सबूत नहीं है, खासकर व्यभिचार के अपराध के अभाव में, तो पीड़ित को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है।

27. यह न्यायालय, वर्तमान मामले का निर्णय करते समय, इस तथ्य से भी अवगत है कि हमारे देश में वर्तमान विधिक परिदृश्य व्यभिचार को अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ** (2019) 3 एस. सी. सी. 39 के मामले में भा.दं.सं. की धारा 497 को निरस्त कर दिया जिसने व्यभिचार को अपराध बना दिया और इसके लिए सजा का प्रावधान किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नए आपराधिक कानून हाल ही में अधिनियमित किए गए हैं और भारत के

माननीय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वीकृति दी गई है, और भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेती है, वह भी व्यभिचार को अपराध नहीं बनाती है।

28. यह एक विचित्र स्थिति होगी जब एक पत्नी, जिसका पति किसी अन्य महिला के साथ पति के रूप में रह रहा है और जिसके संबंध से एक बच्चा भी पैदा हुआ है, न तो व्यभिचार के अपराध के लिए अभियोजन शुरू कर सकती है, न ही उसे द्विविवाह के अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि वह यह दिखाने के लिए साक्ष्य पेश करती है कि किसी प्रकार का विवाह समारोह हुआ था और उसके पति और दूसरी महिला यानी उसकी दूसरी पत्नी के संबंध से एक बच्चा पैदा हुआ था और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम उसके पिता के रूप में उल्लिखित है, केवल इसलिए क्योंकि वह शुरुआती चरण में यह साबित नहीं कर सकी कि ऐसा दूसरा विवाह सप्तपदी करने के बाद हुआ था।

29. संक्षेप में, व्यभिचार को अपराध बनाने वाले कानून की अनुपस्थिति में व्यक्तियों को एक पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, इस अर्थ में कि वे अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान गुप्त रूप से अन्य व्यक्तियों से शादी कर सकते हैं, और फिर तर्क देते हैं कि पहले साथी को यह साबित करना होगा कि ऐसी दूसरी शादी आवश्यक संस्कार और समारोह करने के बाद की गई थी, यहां तक कि ऐसे आरोपी को द्विविवाह के अपराध के लिए बुलाने के

लिए भी, और चूंकि व्यभिचार अब एक अपराध नहीं है, इसलिए ऐसा साथी किसी भी कानूनी परिणाम से मुक्त रहेगा।

30. इस प्रकार, ऐसी स्थिति में, न्यायालय व्यक्तियों को विधिक उपचार के बिना छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, विशेष रूप से उन पत्नियों या पतियों को, जिनके साथी ने दूसरी शादी कर ली है।

31. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह की मौलिक और औपचारिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य रूप से अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

32. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर एक तस्वीर दायर की गई थी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, शादी समारोह के प्रदर्शन की थी। इसे समन के चरण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जब अभियुक्त सं. 1 और 4 के बीच विवाह को साबित करने के लिए अन्य व्यक्तियों और पुजारी को परीक्षण के दौरान बुलाया जा सकता था।

33. चूंकि पहले कानूनी रूप से वैध विवाह के निर्वाह के दौरान दूसरा विवाह आम तौर पर एक पुजारी द्वारा किया गया एक गुप्त विवाह होगा, इस तरह के गुप्त कार्य की प्रकृति यह साबित करने में कठिनाइयाँ पैदा करने में सक्षम है कि क्या व्यक्तियों ने सभी अनुष्ठानों का पालन करके शादी की थी या वे कानूनी रूप से स्वीकृत विवाह के किसी अन्य रूप से विवाहित थे।

34. क्या पहली वैध शादी के अभाव में ऐसा विवाह अनियमित विवाह होता, इस पर भी न्यायालयों को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के कानून में एक विवाह के सिद्धांत को देखते हुए, दूसरी वैवाहिक संघ के मामलों में यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है।

v. द्विविवाह का अपराध: वैवाहिक बंधन का उल्लंघन

35. इस न्यायालय की राय में, द्विविवाह का अपराध संबंधित पीड़ित के वैवाहिक अधिकार के विरुद्ध अपराध है। द्विविवाह के अपराध को आपराधिक दंड के अधीन किया गया है क्योंकि इन अपराधों को समाज की मूलभूत संस्थाओं यानी परिवार और विवाह संस्था के विरुद्ध माना जाता है। भा.दं.सं. की धारा 494 समकालीन समाज के गतिशील ढांचे के भीतर विवाह संस्था के संरक्षण में निहित विधायी मंशा को दर्शाती है।

36. हालांकि कई लोग इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि विवाह संस्था को खतरा किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मंजूरी को उचित ठहराने का आधार हो सकता है जो इसके मानदंडों का सम्मान या पालन नहीं करता है, फिर भी यह न्यायालय इस बात पर गौर करता है कि द्विविवाह का अपराध अपनी विशेष प्रकृति के कारण संबंधित पीड़ित के लिए विशेष समस्याओं को जन्म देता है। द्विविवाह यानी कानूनी रूप से विवाहित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना एक गंभीर निषिद्ध व्यवहार है। आज के युग में लोग विवाह संस्था की प्रासंगिकता से सहमत हो सकते हैं या नहीं भी

हो सकते हैं, लेकिन एक बार कानूनी रूप से विवाहित हो जाने के बाद, विवाह के अनुष्ठान के आधार पर कर्तव्य और दायित्व दोनों पक्षों को एक नई सामाजिक और कानूनी स्थिति प्रदान करता है। विवाह संस्था की गंभीरता का कानून द्वारा सम्मान किया गया है जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 494 से स्पष्ट है।

37. समकालीन समाज में संबंधों पर विकसित दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, यह निर्विवाद है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति अब विवाह की संस्था को प्राथमिकता नहीं देते हैं या उच्च सम्मान नहीं देते हैं। लिव-इन संबंधों को प्राथमिकता देना, जो हमारे देश में विधिक रूप से अनुमत है, इन बदलते सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है।

38. लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति और इस जीवन शैली को चुनने वाले व्यक्तियों को पहचानते हुए और उनका सम्मान करते हुए, एक ऐसा संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है जो उन लोगों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिन्होंने विवाह की पवित्रता और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध किया है। इस संदर्भ में, महत्वपूर्ण विचार उन पति-पत्नियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में निहित है जिन्होंने वैवाहिक बंधन की गंभीरता और महत्व को अपनाया है। हालांकि लिव-इन संबंधों में व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के सुरक्षा उपाय कानूनी रूप से

विवाहित जीवनसाथी को दिए गए कानूनी अधिकारों और सुरक्षा की कीमत पर नहीं आने चाहिए।

39. आपराधिक कानून ढांचे को उन जीवनसाथियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी होगी, जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह की पवित्र प्रतिबद्धता में प्रवेश किया है, तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन के बावजूद उनके कानूनी अधिकारों को बरकरार रखा जाए और संरक्षित किया जाए।

VI. द्विविवाह की प्रतिध्वनि: इसके सामाजिक परिणामों का आकलन

40. जब पहली पत्नी या पति जीवित हों और वैध विवाह बना रहे, कानून गुप्त विवाह और मिलन को रोकने, दंडित करने या सीमित करने में असमर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि अब दूसरा गुप्त विवाह करने वाला पति या पत्नी भी व्यभिचार के लिए दंडनीय नहीं होगा क्योंकि यह अब कोई अपराध नहीं है।

41. इस तरह के दृष्टिकोण से अशांति पैदा होगी; अनुष्ठान के तरीके में अपूर्णता का सिद्धांत और अभियुक्त द्वारा उसी के तहत आश्रय लेना, कानून की अवहेलना के रूप में माना जाना चाहिए। यदि ऐसे कृत्यों को दंडित नहीं किया जाता है, तो हानिकारक सामाजिक परिणाम सामाजिक अवांछनीयता और अस्थिरता को शामिल करेंगे, जिससे कानून द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा।

42. अपूर्णता का सिद्धांत, जब अभियुक्त द्वारा कानूनी परिणामों से बचने के लिए लागू किया जाता है, तो स्थापित कानूनी सिद्धांतों के मूल को चुनौती देता है। यह केवल प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी तकनीकीताओं का फायदा उठाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। ऐसे कृत्यों को दंडित करने की उपेक्षा करने से दूरगामी और प्रतिकूल सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

43. जबकि ऐसे कृत्यों का नैतिक औचित्य सभी मामलों में आपराधिक कानून द्वारा कार्रवाई को आमंत्रित करने का आधार नहीं हो सकता है, एक वैध विवाह और एक गुप्त विवाह से जुड़े इस प्रकार के आचरण पर आपराधिक कानून या आपराधिक कानून प्रक्रिया का विज्ञान समाज पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।

44. यह न्यायालय समझता है कि विवाह को धमकी देने वालों को दंडित करना कानून के न्यायालय के लिए कठिन है क्योंकि सार्वजनिक नैतिकता की अवधारणा निरंतर उतार-चढ़ाव की स्थिति में है। वैवाहिक और यौन संबंधों में नैतिक मानक बदल गए हैं। न्यायालय का कार्य किसी मामले की परिस्थितियों के प्रकाश में यह आकलन करना है कि विवाह का अनुष्ठान हुआ था या नहीं, क्योंकि विवाह का अनुष्ठान स्वयं द्विविवाह के अपराध का विषय है। किसी समारोह में भाग न लेने के कारण दूसरी शादी की संभावित अमान्यता, इस तथ्य को नहीं बदलेगी कि दोहरी शादी हुई थी। समाज के

व्यापक हित के लिए यह वांछनीय नहीं है कि इस पहलू पर आपराधिक कानून को वैवाहिक कानून से अलग कर दिया जाए।

45. जैसे-जैसे समाज विकसित होते हैं, वैवाहिक कानूनों के आसपास के कानूनी परिदृश्य में परिवर्तन हुए हैं जो विभिन्न न्यायालय निर्णयों में परिलक्षित होते हैं। हालांकि इन कानूनी विकासों ने कानून में कुछ खामियों को दूर किया है, लेकिन वे अनजाने में द्विविवाह के निषिद्ध आचरण की अनुमति दे सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि समकालीन निर्णयों ने लिव-इन रिश्तों को उसी दृष्टिकोण से नहीं देखा है जैसा कि उन्होंने कई साल पहले किया होगा।

46. द्विविवाह के अपराध की गंभीरता, जो पूर्व में वैध विवाह के अनुष्ठान तथा प्रथम वैध विवाह के जीवनकाल और अस्तित्व के दौरान पति या पत्नी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के आचरण को अनिवार्य बनाती है, समाज और पीड़ित पति या पत्नी दोनों के लिए खतरनाक है।

vii. हिंदू कानून के तहत एकविवाह के सिद्धांत का संरक्षण

47. कभी-कभी, सभी मामले संबंधी कानून और मौजूदा कानून किसी दिए गए मामले की किसी विशेष स्थिति से नहीं निपट सकते हैं। एकल विवाह, हिंदू कानून के तहत एक मौलिक मूल्य और जीवन शैली माना जाता है, जो इस कानूनी प्रणाली का पालन करने वाले नागरिकों को नियंत्रित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम स्पष्ट रूप से बहुविवाह की अवधारणा को खारिज करता है,

जो एकांगी विवाह के सिद्धांतों को मजबूत करता है। व्यभिचार के अपराध के उत्सादन की वकालत करते हुए, इस रुख को उन प्रथाओं के समर्थन के रूप में गलत समझने से बचना महत्वपूर्ण है जिसमें कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को छोड़ना, एक नई शादी करना और व्यभिचार की अनुपस्थिति में शरण लेना एक आपराधिक अपराध के रूप में शामिल है। इरादा इस तरह के कार्यों को माफ करना नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य के साथ कानूनी परिदृश्य को नेविगेट करना है। हिंदू कानून और उनसे निपटने वाले न्यायालयों ने लंबे समय से एकविवाह के सिद्धांत को संरक्षित किया है।

48. एक विवाह की पवित्रता को बनाए रखने से कानूनी व्याख्याओं के विकास या बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुकूल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि, किसी भी सुधार को सावधानीपूर्वक अपनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हिंदू कानून के मूलभूत सिद्धांतों के साथ संरेखित हो और अनजाने में एकल विवाह के सार से समझौता न करे। इस प्रकार, कानूनी ढाँचों में बदलाव पर विचार करते समय, पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने और समकालीन समाज की विकसित गतिशीलता का जवाब देने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना अनिवार्य हो जाता है।

viii. द्विविवाह में साक्ष्य का बोझ

49. आपराधिक न्यायाधीश प्रणाली के व्यावहारिक प्रशासन में सबूत के बोझ का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में केंद्रीय मुद्दा इस बात का प्रमुख

सबूत है कि आरोपी ने कानूनी रूप से विवाहित होने के बावजूद किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह समारोह किया था।

50. जबकि सबूत का बोझ वाद के एक विशेष चरण में सबूत पेश करने के प्रमाणिक बोझ और पूरे सबूत के आधार पर एक आरोपी के अपराध या निर्दोषता स्थापित करने के दायित्व को संदर्भित करता है। प्रस्तुत किए जाने के बाद, यह एक पत्नी द्वारा दायर द्विविवाह के मामले में खुद को बुलाने के स्तर पर भारतीय कानून की सामान्य भावना के विपरीत होगा, यह उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कि विवाह के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी समारोह आरोपी द्वारा दूसरे साथी से शादी करते समय किए गए थे, और यह अति-तकनीकी दृष्टिकोण और न्यायिक पूर्व निर्णय के खिलाफ होगा।

51. समन जारी करने के चरण में, यह वर्तमान मामले की तरह ही परिस्थितियों के अस्तित्व का प्रमाण है - अभियुक्त सं. 1 और 4 के बीच दूसरा विवाह, और विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जाना है और अभियुक्त को परिवादी से साक्ष्य या जिरह प्रस्तुत करके इस अनुमान को खारिज करने का अधिकार होगा।

52. इस स्तर पर, परिवादी, जो पीड़ित पत्नी है, पर बोझ डालना उसके पति की दूसरी शादी को साबित करने के कर्तव्य से अनुचित रूप से उसे वंचित करना होगा, जो कथित रूप से एक गुप्त विवाह था, जिसकी वह बड़ी मुश्किल से एक तस्वीर प्राप्त करने में सक्षम थी।

viii. *जीवन की व्यावहारिकताओं के साथ कानून की तकनीकों को संतुलित करने की आवश्यकता*

53. इस न्यायालय के विचार में, कानून को वास्तविकता में रहना चाहिए, और एक कानून और उसका अनुप्रयोग व्यावहारिकता के बिना होता है और जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जीवित रहना एक अच्छा कानून नहीं हो सकता है। यदि पक्षकार यानी अभियुक्त सं. 1 और 4 एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, हालांकि वे एक दूसरे से विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, और कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के लिए नुकसानदेह तरीके से पति-पत्नी के रूप में रहना जारी रखते हैं, और अभिलेख पर मौजूद ऐसे साक्ष्यों जैसे कि उनकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, के बावजूद, पति को पहली पत्नी के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति देते हैं, केवल इस आधार पर कि शुरुआती चरण में पहली पत्नी आवश्यक संस्कारों और समारोहों के अनुसार दूसरी शादी करने का पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी, यह न्याय का उपहास होगा क्योंकि पति पकड़े जाने पर यह कहकर आसानी से कानून को चकमा दे सकता है कि वह किसी अन्य महिला से कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, हालांकि वह उसके साथ रहना जारी रखता है, बच्चे को जन्म देता है जिसका पालन-पोषण वे माता-पिता के रूप में करते हैं और जिसके जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम अभियुक्त पति के रूप में दर्ज है।

54. इसलिए, इस बात पर जोर देना कि वैध विवाह के उद्देश्य से किए गए विवाह के सभी समारोहों को, यहां तक कि द्विविवाह के अपराध के लिए अभियुक्त को बुलाने के उद्देश्य से भी साबित किया जाना चाहिए, पहली पत्नी को ऐसी स्थिति में डाल देगा जहां हालांकि वह जानती है कि उसका पति किसी तरह का विवाह समारोह करने के बाद किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है, और खुद को पति-पत्नी के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि विवाह के समारोहों में से एक को वह साबित नहीं कर पाई। किसी भी मामले में, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि पत्नी का पति, पहले विवाह के अस्तित्व के दौरान, अपनी पहली पत्नी को सूचित करने के बाद या उसकी उपस्थिति में दूसरी बार शादी करेगा ताकि वह अपनी दूसरी शादी और उसमें किए गए समारोहों का साक्ष्य इकट्ठा कर सके।

55. समन जारी करने से पहले ही पति की दूसरी शादी के हर समारोह को साबित करने के लिए कहा जाना एक महिला के लिए बोझिल होगा।

56. विद्वान सत्र न्यायालय, समन जारी करने के चरण में, इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकता था कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि उसके ही ज्ञात कारणों से दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत आवेदन दायर नहीं किया गया

था, ताकि पुलिस दूसरी शादी के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने में सहायता कर सके, जो इसकी वैधता या तथ्यात्मकता को साबित कर सकती थी।

57. इस प्रकार, यह न्यायालय इस तथ्य का संज्ञान लेता है कि पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी बार शादी करते समय एक साथी द्वारा दूसरे साथी द्वारा सप्तपदी का प्रदर्शन साबित करने में असमर्थता, विशेष रूप से जब दूसरे साथी ने तीसरे व्यक्ति के साथ गुप्त रूप से ऐसा विवाह किया हो, तो द्विविवाह के अपराध के कानूनी परिणामों को दरकिनार करने के लिए एक चतुर रणनीति के रूप में इसका फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। जबकि कानूनी कार्यवाही में रणनीतिक तत्व शामिल होते हैं, ऐसे चतुर चालों को निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

58. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द्विविवाह के आरोपों से जुड़े मामलों में, न्यायालयों को केवल वाद के दौरान ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना होगा, जैसे कि दूसरी बार शादी करते समय आवश्यक समारोह किए गए थे या नहीं। समन चरण में दूसरी शादी के लिए सप्तपदी के प्रदर्शन को साबित करने में एक साथी, या तो पत्नी या पति, की असमर्थता को कानूनी परिणामों से बचने के लिए एक बचाव के रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

59. कानूनी कार्यवाही न्याय की खोज और सभी नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लक्ष्य से निर्देशित होनी चाहिए। इसलिए, न्यायालयों को सामरिक लाभ के लिए प्रक्रियात्मक बारीकियों का फायदा उठाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए जो कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता से समझौता कर सकता है।

निर्णय

60. इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चा और पिछले पैराग्राफ में दर्ज कारणों के मद्देनजर, यह न्यायालय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-03, दक्षिण, साकेत न्यायालय, दिल्ली द्वारा पंजीकृत परिवाद मामला सं. 313/2018 और 437/2018 में पारित दिनांक 21.01.2019 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए इच्छुक है। इसके मद्देनजर, विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट-04, दक्षिण, साकेत न्यायालय, दिल्ली द्वारा परिवाद मामला सं. 37/1 में पारित दिनांक 30.08.2017 के समन आदेश को बरकरार रखा जाता है।

61. तदनुसार, लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

62. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यहाँ ऊपर व्यक्त की गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगी।

63. निर्णय तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

3 जनवरी, 2024/जेडपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।